प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

<u>युगलपीठ</u> :- <u>माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश एवं</u>

<u>माननीय श्री राधे श्याम शर्मा, न्यायाधीश</u>

<u>दाण्डिक अपील क्रमांक 551/2008</u>

फिरातराम बनज उर्फ ननकीदाऊ एवं अन्य

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>विचार हेतु निर्णय</u>

सही/-
आर.एस. शर्मा
न्यायाधीश

<u>माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश</u>

मैं सहमत हूँ।

हस्ता/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

निर्णय हेतु दिनांक 13/08/2012 को सूचीबद्ध करें।

हस्ता/-

आर.एस. शर्मा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

युगलपीठ :- माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश एवं

माननीय श्री राधे श्याम शर्मा, न्यायाधीश

दाण्डिक अपील क्रमांक 551/2008

अपीलार्थीगण: 1. फिरातराम बनज उर्फ ननकीदाऊ, पुत्र रतिराम बनज, आयु लगभग 39 वर्ष,

2. दिलेश्वर प्रसाद उर्फ दिलाराम बनज, पुत्र रतिराम बनज, आयु लगभग 57 वर्ष,

3. भेषकुमार बनज, पुत्र दिलेश्वर उर्फ दिलाराम बनज, आयु लगभग 27 वर्ष,

4. नरेन्द्र, पुत्र दिलाराम उर्फ दिलेश्वर बनज, आयु लगभग 23 वर्ष,

सभी निवासी ग्राम भाठागांव रोड कोसिर, तहसील सारंगढ़, जिला- रायगढ़।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी: छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति:

श्री राकेश पाण्डेय, अपीलार्थीगण के अधिवक्ता।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी, राज्य/प्रत्यर्थी के लिए पैनल अधिवक्ता।

(<u>दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के अंतर्गत अपील</u>)

<u>(निर्णय)</u>

(13 अगस्त, 2012 को परिदत्त)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>न्यायाधीश, श्री राधे श्याम शर्मा के अनुसार</u>:

1. यह अपील सत्र विचारण क्रमांक 17/2007 में अपर सत्र न्यायाधीश, सारंगढ़, जिला रायगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26-04-2008 के विरुद्ध निर्देशित है। आक्षेपित निर्णय द्वारा, अभियुक्त व्यक्तियों/अपीलार्थीगण फिरातराम बनज उर्फ ननकीदाऊ, दिलेश्वर प्रसाद उर्फ दिलाराम बनज, भेषकुमार बनज एवं नरेन्द्र को निम्नलिखित रीति से सिद्धदोष ठहराया गया है एवं दंडादेश दिया गया है, जिसमें सभी दंडादेशों को साथ-साथ चलाने का निर्देश दिया गया है:

दोषसिद्धि	**दंडादेश**
अंतर्गत धारा 302/34 भा.द.वि.	आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को अर्थदण्ड रु.10,000/-, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 1 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
अंतर्गत धारा 324/34 भा.द.वि.	3 वर्षों का कठोर कारावास एवं प्रत्येक को अर्थदण्ड रु. 2,000/-, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अंतर्गत धारा 4 टोन्ही प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2005	3 वर्षों का कठोर कारावास एवं प्रत्येक को अर्थदण्ड रु. 3,000/-, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अंतर्गत धारा 4 टोन्ही प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2005	5 वर्षों का कठोर कारावास एवं प्रत्येक को अर्थदण्ड रु. 10,000/-, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. अभियोजन पक्ष का मामला, संक्षेप में, इस प्रकार है:

चित्रलेखा अपीलार्थी क्रमांक 2 दिलेश्वर प्रसाद उर्फ दिलाराम बनज की पुत्री है। वह 6 माह से मानसिक रूप से बीमार थी। अपीलार्थी क्रमांक 2 को मृतक पुनीराम पर संदेह था कि वह 'टोन्हा' (वह व्यक्ति जो किसी पर जादू-टोना करता है) था। अपीलार्थीगण और मृतक के बीच इस संदेह पर विवाद हुआ कि मृतक 'टोन्हा' था और चित्रलेखा के खराब स्वास्थ्य के लिए वही जिम्मेदार था। दिनांक 10-11-2006 को लगभग रात्रि

2:30 बजे, अपीलार्थीगण टंगी, लाठी और रॉड से लैस होकर मृतक के घर में घुस गए और उसे गाली-गलौज करने लगे। गुरुदेव (अ.सा.-2 - मृतक का पुत्र) ने अपीलार्थीगण को गाली देने से रोकने का प्रयास किया, परंतु अपीलार्थीगण ने उसे घसीटा और उसके साथ मारपीट की। अपीलार्थी क्रमांक 1 फिरातराम और अपीलार्थी क्रमांक 4 नरेन्द्र ने गुरुदेव (अ.सा.-2) पर टंगी से हमला किया। अपीलार्थी क्रमांक 3 भेषकुमार ने रॉड से और अपीलार्थी क्रमांक 2 दिलेश्वर ने गुरुदेव (अ.सा.-2) पर लाठी से हमला किया, जिसके कारण गुरुदेव (अ.सा.-2) के सिर, दाहिने हाथ, कलाई, बाईं भुजा और कमर पर चोटें आईं। जब मृतक ने अपने पुत्र गुरुदेव (अ.सा.-2) को बचाने का प्रयास किया, तो अपीलार्थीगण ने मृतक पर टंगी, लाठी और रॉड से हमला किया। मृतक के कान, सिर और पीठ पर चोटें आईं और उसकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। लीलाराम (अ.सा.-1 - मृतक का पुत्र) ने थाना कोसिर में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) दर्ज कराई। मर्ग सूचना (प्रदर्श पी-2) भी दर्ज की गई थी। विवेचना अधिकारी घटना स्थल पर पहुँचे, पंचों को नोटिस (प्रदर्श पी-3) दिया और मृतक के शव का शव-पंचायतनामा (प्रदर्श पी-4) तैयार किया। मृतक के शव को प्रदर्श पी-38 के माध्यम से पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सारंगढ़ भेजा गया। घायल गुरुदेव (अ.सा.-2) को भी प्रदर्श पी-34 के माध्यम से चिकित्सा परीक्षण हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सारंगढ़ भेजा गया। मृतक के शव का पोस्टमार्टम परीक्षण डॉ. आर.एल. सिदार (अ.सा.-10) द्वारा किया गया था, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-29) दी, जिसमें उन्होंने पाया—

i) दाहिने कान पर 2 x 0.5 सेमी का विदीर्ण घाव

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ii) बाईं पार्श्विक क्षेत्र (पेरिएटल रीजन) पर 6 x 0.5 x 8 सेमी का हड्डी तक गहरा विदीर्ण घाव, साथ ही बाईं पार्श्विक हड्डी (पेरिएटल बोन) में अस्थि-भंग,

iii) पश्चकपाल अस्थि (ऑक्सीपिटल बोन) पर 3 x 0.5 x 1 सेमी का हड्डी तक गहरा विदीर्ण घाव,साथ ही अस्थि-भंग,

iv) दाहिने शंख क्षेत्र (दायें टेम्परल रीजन) पर नील और दाहिने शंख अस्थि पर 8 x 6 सेमी का अस्थि-भंग, दोनों कान की नलिकाओं और बाएं नथुने से रक्तस्राव उपस्थित,

v) माथे के बाईं ओर 3 x 3 सेमी की खरोंच के साथ विदीर्ण घाव, और

vi) बाएं स्कैपुलर क्षेत्र में कई खरोंचें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उन्होंने मत व्यक्त किया कि मृत्यु का कारण कठोर एवं धारदार तथा कठोर एवं कुंद वस्तुओं द्वारा सिर पर कारित चोट के परिणामस्वरूप कोमा (अचेतनावस्था) था और मृत्यु की प्रकृति मानव-वध थी।आगे की विवेचना में, निरीक्षक एम.एस. परेश्वर (अ.सा.-13) ने प्रदर्श पी-5 के माध्यम से नजरी नक्शा तैयार किया और पटवारी लक्ष्मण स्वर्णकार (अ.सा. -9) ने भी प्रदर्श पी-6 के माध्यम से नजरी नक्शा तैयार किया। निरीक्षक एम.एस. परेश्वर (अ.सा.-13) ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत अपीलार्थी क्रमांक 2 दिलेश्वर का प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श पी-9) दर्ज किया और उसकी निशानदेही पर प्रदर्श पी-24 के माध्यम से लाठी जब्त की गई। अपीलार्थी क्रमांक 3 भेषकुमार का भी प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श पी-10) दर्ज किया गया और उसकी निशानदेही पर प्रदर्श पी-25 के माध्यम से लोहे का पाइप जब्त किया गया। अपीलार्थी क्रमांक 4 नरेन्द्र का प्रकटीकरण कथन प्रदर्श पी-11 के माध्यम से दर्ज किया गया और उसकी निशानदेही पर प्रदर्श पी-26 के माध्यम

से टंगी जब्त की गई। अपीलार्थी क्रमांक 1 फिरातराम का प्रकटीकरण कथन प्रदर्श पी-12 के माध्यम से दर्ज किया गया और उसकी निशानदेही पर टंगी जब्त की गई। घटना स्थल से प्रदर्श पी-13 के माध्यम से सादी मिट्टी और रक्त रंजित मिट्टी जब्त की गई। अपीलार्थी क्रमांक 2 दिलेश्वर से प्रदर्श पी-16 के माध्यम से सफेद शर्ट जब्त की गई। अपीलार्थी क्रमांक 3 भेषकुमार से प्रदर्श पी-17 के माध्यम से पैंट और शर्ट जब्त की गई तथा अपीलार्थी क्रमांक 4 नरेन्द्र से प्रदर्श पी-18 के माध्यम से एक सैंडो बनियान और निक्कर जब्त की गई। गुरुदेव (अ.सा.-2) का परीक्षण डॉ. एम.के. मनहर (अ.सा.-11) द्वारा किया गया, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-34) दी, जिसमें उन्होंने पाया—

i) पश्चकपाल क्षेत्र (ऑक्सीपिटल रीजन) पर 3 x 1 सेमी का विदीर्ण घाव,

ii) दाहिने शंख क्षेत्र (दायें टेम्परल रीजन) पर 4 x 1 सेमी का विदीर्ण घाव,

iii) सिर के मध्य भाग में 4 x 1 सेमी का विदीर्ण घाव,

iv) दाहिनी कलाई पर 3 x 1 सेमी का गुमचोट/ कुचलन

v) कूल्हे के जोड़ के दाहिने हिस्से पर 3 x 1 सेमी का गुमचोट/ कुचलन,

vi) बाएं कंधे पर 2 x 1 सेमी का गुमचोट,

vii) दाहिने कंधे के जोड़ पर 1 x 1 सेमी का गुमचोट, और

viii) दाहिने घुटने के जोड़ पर 1 x 1 सेमी की सूजन।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जब्त की गई वस्तुओं को परीक्षण हेतु न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर, प्रदर्श पी-37 के माध्यम से भेजा गया था।

विवेचना पूर्ण होने के पश्चात, अपीलार्थीगण के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सारंगढ़ के न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने बदले में मामले को सत्र न्यायालय, रायगढ़ को उपार्पित कर दिया; जहाँ से इसे स्थानांतरण पर अपर

सत्र न्यायाधीश, सारंगढ़, जिला रायगढ़ द्वारा प्राप्त किया गया, जिन्होंने विचारण का संचालन किया और अपीलार्थीगण को उपरोक्त अनुसार सिद्धदोष ठहराया एवं दंडादेश दिया तथा सह-अभयुक्तों रतिराम, रामायणबाई, चंद्रकला और पिंकीबाई को उनके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।

3. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश पाण्डेय ने तर्क दिया कि इस मामले में कोई भी स्वतंत्र चक्षुदर्शी गवाह नहीं है। लीलाराम (अ.सा.-1), गुरुदेव (अ.सा.-2) और चुनूराम बनज (अ.सा.-6) पुत्र हैं, फुलतौरी (अ.सा.-3) और सुनीता बनज (अ.सा.-5) बहुएं हैं तथा तिहारिन बाई (अ.सा.-8) मृतक की पत्नी है। वे रिश्तेदार हैं और अत्यधिक हितबद्ध साक्षी हैं। उनके बयानों में तात्विक विरोधाभास हैं। अपीलार्थीगण को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष अपीलार्थीगण द्वारा समान आशय साझा करने को सिद्ध करने में विफल रहा है। घटना स्थल पर अपीलार्थीगण की मात्र उपस्थिति, मृतक की हत्या करने के समान आशय के संबंध में उनके विरुद्ध निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है। अभियोजन पक्ष मामले को सभी उचित संदेहों से परे सिद्ध करने में पूर्णतः विफल रहा है। अतः, अपीलार्थीगण उनके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त होने के पात्र हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. इसके विपरीत, राज्य/प्रत्यर्थी के विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री राजेन्द्र त्रिपाठी ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश में इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और सत्र विचारण क्रमांक 17/2007 के अभिलेख का परिशीलन किया है।

6. भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और 324/34 तथा टोंही प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2005 की धारा 4 और 5 के अंतर्गत अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि लीलाराम (अ.सा. -1), घायल साक्षी गुरुदेव (अ.सा. -2), फुलतौरी (अ.सा. -3), सुनीता

बनज (अ.सा.-5), चुनूराम बनज (अ.सा. -6) और तिहारिन बाई (अ.सा.-8) के साक्ष्य पर आधारित है।

7. मानो दत्त और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, [(2012) 4 एससीसी 79] के मामले में, माननीय एससी ने निम्नानुसार अवलोकन किया:

"30. ...... सामान्यतः, एक घायल साक्षी अधिक विश्वसनीयता का पात्र होता है क्योंकि वह स्वयं पीड़ित होता है और इस प्रकार, ऐसे व्यक्ति के लिए घटना का गलत विवरण देने, या किसी को झूठा फंसाने और इसके बदले में वास्तविक अपराधी को बचाने का कोई अवसर नहीं होगा। हमें उस महत्व पर अधिक विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है जो न्यायालय द्वारा एक घायल साक्षी के साक्ष्य को दिया जाना चाहिए। वास्तव में, आपराधिक न्यायशास्त्र का यह पहलू अब अछूता प्रश्न नहीं रह गया है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निरंतर एक समान भाषा में कहा गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

31. हम केवल अब्दुल सईद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, [(2010) 10 एससीसी 259] का संदर्भ दे सकते हैं, जहाँ इस न्यायालय ने निम्नानुसार व्यवस्था दी: (एससीसी पृष्ठ 271-72, कंडिका 28-30)

"28. घटना के दौरान स्वयं घायल हुए साक्षी के साक्ष्य को दिए जाने वाले महत्व के प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा विस्तार से चर्चा की गई है। जहाँ घटना का कोई साक्षी स्वयं उस घटना में घायल हुआ हो, तो ऐसे साक्षी के साक्ष्य को आम तौर पर बहुत विश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि वह एक ऐसा साक्षी है जो अपराध स्थल पर अपनी उपस्थिति की अंतर्निहित प्रत्याभूति के साथ आता है और इस बात की संभावना कम होती है कि वह किसी को झूठा फंसाने के लिए अपने वास्तविक हमलावर (हमलावरों) को छोड़ देगा। 'एक घायल साक्षी को अविश्वसनीय ठहराने के लिए ठोस साक्ष्य की आवश्यकता होती है।' [देखें रामलगन सिंह बनाम बिहार राज्य, (1973) 3 एससीसी 881; मलखान सिंह

बनाम उत्तर प्रदेश राज्य,(1975) 3 एससीसी 311; मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1983) 3 एससीसी 470; अप्पाभाई बनाम गुजरात राज्य, 1988 सप एससीसी 241; बोनक्या बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1995) 6 एससीसी 447; भाग सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1997) 7 एससीसी 712; मोहर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2002) 7 एससीसी 606 (एससीसी पृष्ठ 606b-c); दिनेश कुमार बनाम राजस्थान राज्य, (2008) 8 एससीसी 270; विष्णु बनाम राजस्थान राज्य, (2009) 10 एससीसी 477; अन्नारेड्डी सांबशिव रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2009) 12 एससीसी 546 और बालराजे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2010) 6 एससीसी 673)]।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. इस विषय का निर्णय करते समय, जरनैल सिंह बनाम पंजाब राज्य, [(2009) 9 एससीसी 719] में एक समान दृष्टिकोण अपनाया गया था, जहाँ इस न्यायालय ने एक घायल साक्षी के साक्ष्य को दिए गए विशेष साक्ष्यिक दर्जे को दोहराया और अपने पूर्व के निर्णयों पर भरोसा करते हुए निम्नानुसार व्यवस्था दी: (एससीसी पृष्ठ 726-27, कंडिका 28-29)

"28. दर्शन सिंह (अ.सा. 4) एक घायल साक्षी था। डॉक्टर द्वारा उसका परीक्षण किया गया था। उसके साक्ष्य को हल्के में दरकिनार नहीं किया जा सकता था। उसने घटना का पूरा विवरण दिया था क्योंकि वह उस समय उपस्थित था जब हमलावर ट्यूबवेल पर पहुँचे थे। शिवलिंगप्पा कल्यानप्पा बनाम कर्नाटक राज्य, [1994 सप (3) एससीसी 235] में, इस न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि आहत साक्षी के कथन पर तब तक भरोसा किया जाना चाहिए जब तक कि बड़े

विरोधाभासों और विसंगतियों के आधार पर उसके साक्ष्य को खारिज करने के मजबूत आधार न हों, इस कारण से कि यदि यह सिद्ध हो जाता है कि उसे उक्त घटना के दौरान चोट लगी थी, तो घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति स्थापित मानी जाती है।"

"29. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम किशन चंद, [(2004) 7 एससीसी 629] में, इसी तरह के विचार को दोहराया गया है और यह अवलोकन किया गया है कि एक आहत साक्षी के साक्ष्य की अपनी प्रासंगिकता और प्रभावकारिता होती है। यह तथ्य कि साक्षी को घटना के समय और स्थान पर चोटें आई थीं, उसके इस साक्ष्य को बल प्रदान करता है कि वह घटना के दौरान उपस्थित था। यदि घायल साक्षी से लंबी प्रतिपरीक्षा की जाती है और उसके साक्ष्य को खारिज करने के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा पाता है, तो उस पर भरोसा किया जाना चाहिए (देखें कृष्ण बनाम हरियाणा राज्य, [(2006) 12 एससीसी 459)] इस प्रकार, हमारा यह सुविचारित मत है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दर्शन सिंह (अ.सा. 4) के साक्ष्य पर सही रूप से भरोसा किया गया है।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

"30. इस बिंदु पर विधि का सारांश इस आशय के साथ दिया जा सकता है कि विधि में घायल साक्षी के साक्ष्य को एक विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। यह इस तथ्य के परिणाम स्वरूप है कि साक्षी को आई चोट अपराध स्थल पर उसकी उपस्थिति की एक अंतर्निहित प्रत्याभूति है और क्योंकि साक्षी केवल अपराध करने के लिए किसी तीसरे पक्ष को झूठा फंसाने के लिए अपने वास्तविक हमलावर को बिना सजा के नहीं जाने देना चाहेगा। इस प्रकार, घायल साक्षी के कथन पर तब तक भरोसा किया जाना चाहिए जब तक कि उसमें बड़े विरोधाभासों और विसंगतियों के आधार पर उसके साक्ष्य को खारिज करने के मजबूत आधार न हों।"

8. **धरणीधर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, [(2010) 7 एससीसी 759] के** मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"12. ऐसा कोई कठोर नियम नहीं है कि परिवार के सदस्य घटना के सच्चे साक्षी नहीं हो सकते और वे न्यायालय के समक्ष हमेशा झूठा साक्ष्य देंगे। यह हमेशा किसी दिए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। जयबालन

बनाम केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी, [(2010) 1 एससीसी 199] में, इस न्यायालय को यह विचार करने का अवसर मिला कि क्या हितबद्ध साक्षियों के साक्ष्य पर भरोसा किया जा सकता है। न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि हितबद्ध साक्षी के साक्ष्य के संबंध में विचार करते समय एक पांडित्यपूर्ण/रूढ़िवादी दृष्टिकोण लागू नहीं किया जा सकता है। ऐसे साक्ष्य को केवल इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता या खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि वह पीड़ित से निकटता से संबंधित व्यक्ति द्वारा दिया गया है। न्यायालय ने निम्नानुसार व्यवस्था दी: (एससीसी पृष्ठ 213, कंडिका 23-24)"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"23. हमारा यह सुविचारित मत है कि जिन मामलों में न्यायालय को हितबद्ध साक्षियों के साक्ष्य पर विचार करना पड़ता है, वहाँ ऐसे साक्षियों के साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय न्यायालय का दृष्टिकोण पांडित्यपूर्ण/रूढ़िवादी नहीं होना चाहिए। हितबद्ध साक्षियों द्वारा दिए गए साक्ष्य का मूल्यांकन करने और उसे स्वीकार करने में न्यायालय को सतर्क रहना चाहिए, परंतु न्यायालय को ऐसे साक्ष्य के प्रति संदेहास्पद नहीं होना चाहिए। न्यायालय का प्राथमिक प्रयास साक्ष्य में सुसंगति की तलाश करना होना चाहिए। किसी साक्षी के साक्ष्य को केवल

इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता या खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि वह ऐसे व्यक्ति के मुख से आया है जो पीड़ित का निकट संबंधी है।"

13. इसी तरह का विचार इस न्यायालय द्वारा राम भरोसे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, [(2010) 1 एससीसी 722] में अपनाया गया था, जहाँ न्यायालय ने विधि के इस सिद्धांत को अभिनिर्धारित किया कि मृतक का कोई निकट संबंधी, स्वतः ही, एक हितबद्ध साक्षी नहीं बन जाता है। एक हितबद्ध साक्षी वह है जो प्रतिशोध या शत्रुता के कारण या विवादों के कारण किसी व्यक्ति की दोषसिद्धि सुनिश्चित करने में रुचि रखता है और केवल उसी इरादे से न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देता है न कि न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए। हितबद्ध साक्षी के साक्ष्य के मूल्यांकन से संबंधित विधि सुस्थापित है, जिसके अनुसार हितबद्ध साक्षी के वृत्तांत को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है, बल्कि उसे स्वीकार करने से पहले सावधानीपूर्वक उसकी जांच की जानी चाहिए।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9. लीलाराम (अ.सा.-1), गुरुदेव (अ.सा.-2), फुलतौरी (अ.सा.-3), सुनीता बनज (अ.सा.-5), चुनूराम बनज (अ.सा.-6) और तिहारिन बाई (अ.सा.-8) ने साक्ष्य दिया कि मृतक, लीलाराम (अ.सा.-1), गुरुदेव (अ.सा.-2) और चुनूराम बनज (अ.सा.-6) का पिता था और तिहारिन बाई (अ.सा.-8) का पति था। उन्होंने आगे साक्ष्य दिया कि दिनांक 10-11-2006 को लगभग रात्रि 2:30 बजे, अपीलार्थी फिरात्रम और नरेंद्र टंगी से लैस होकर, अपीलार्थी भेषकुमार लोहे की रॉड से लैस होकर और अपीलार्थी दिलेश्वर प्रसाद @ दिलाराम लाठी से लैस होकर, मृतक के घर में घुसे और मृतक को 'टोनहा' बताते हुए गाली-गलौज करने लगे। उस समय मृतक बरामदे में रामायण पढ़ रहा था और चुनूराम बनज (अ.सा.-6) भी एक किताब पढ़ रहा था। गुरुदेव (अ.सा.-2) ने अपीलार्थीगण को गाली देने से रोकने का प्रयास किया। अपीलार्थीगण ने उसे घसीटकर आंगन में ले आए और उसके साथ मारपीट की। उन्होंने आगे साक्ष्य दिया कि अपीलार्थी फिरात्रम और नरेंद्र ने टंगी से हमला किया। अपीलार्थी भेषकुमार ने लोहे की रॉड से और अपीलार्थी दिलेश्वर ने लाठी से हमला किया। अपीलार्थी फिरात्रम और नरेंद्र ने सिर पर टंगी से वार किया, अपीलार्थी भेषकुमार ने दाहिने हाथ पर लोहे की रॉड से वार

किया और अपीलार्थी दिलेश्वर ने गुरुदेव (अ.सा.-2) की पीठ और कंधे पर वार किए। गुरुदेव (अ.सा.-2) की दाहिनी कलाई अस्थि-भंग हो गई थी।

10. लीलाराम (अ.सा. -1), गुरुदेव (अ.सा. -2), फुलतौरी (अ.सा. -3), सुनीता बनज (अ.सा. -5), चुनूराम बनज (अ.सा. -6) और तिहारिन बाई (अ.सा. -8) ने साक्ष्य दिया कि जब मृतक ने गुरुदेव (अ.सा. -2) को बचाने का प्रयास किया, तो अपीलार्थीगण ने मृतक पर भी हमला किया। अपीलार्थी फिरात्रम और नरेंद्र ने मृतक के सिर पर टंगी से वार किया और अपीलार्थी भेषकुमार ने रॉड से मृतक पर हमला किया तथा अपीलार्थी दिलेश्वर ने लाठी से मृतक पर हमला किया। मृतक नीचे गिर गया और अचेत हो गया।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. लीलाराम (अ.सा.-1) ने साक्ष्य दिया कि वह पुलिस थाना कोसीर गया था और वहां प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) दर्ज कराई थी। मर्ग सूचना (प्रदर्श पी-2) भी दर्ज की गई थी। घटना की तारीख और समय 10-11-2006 को लगभग रात्रि 2:30 बजे था और प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) उसी दिन लगभग रात्रि 3:30 बजे दर्ज कराई गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) घटना के एक घंटे के भीतर दर्ज कराई गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) और मर्ग सूचना (प्रदर्श पी-2) में अपीलार्थीगण के नाम हमलावरों के रूप में उल्लेखित हैं।

12. गुरुदेव (अ.सा.-2) को उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया। डॉ. एम.के. मनहर (अ.सा.-11) ने साक्ष्य दिया कि उन्होंने गुरुदेव (अ.सा. -2) का परीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-34) दी, जिसमें उन्होंने 8 चोटें पाईं, जिनमें से चोट क्रमांक 1, 2 और 3 विदीर्ण थीं और शेष चोटें गुमचोट/कुचलन थीं। उन्होंने आगे साक्ष्य दिया कि चोट

क्रमांक 1, 2 और 3 कठोर एवं धारदार वस्तु द्वारा कारित की गई थीं और चोट क्रमांक 4, 5, 6, 7 और 8 कठोर एवं कुंद वस्तु द्वारा कारित की गई थीं।

13. डॉ. आर.एल. सिदार (अभियोजन साक्षी-10) ने बयान दिया कि दिनांक 10-11-2006 को उन्होंने मृतक के शव का शव-परीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-29) दी, जिसमें उन्हें दाहिने कान, बाएं पार्श्व क्षेत्र (बाएं पेरिटल क्षेत्र) और पश्चकपाल क्षेत्र (आक्सीपिटल क्षेत्र) पर कटे हुए घाव मिले। उन्होंने आगे यह भी बयान दिया कि उन्हें स्कैपुलर क्षेत्र और सिर पर कई खरोंचें भी मिलीं। डॉ. एम.के. मनहर (अ. सा. -11) के साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि गुरुदेव (अभियोजन साक्षी-2) के शरीर पर धारदार हथियार और कठोर एवं कुंद हथियार से चोटें आई थीं। डॉ. आर.एल. सिदार (अभियोजन साक्षी-10) का साक्ष्य यह इंगित करता है कि मृतक के शरीर पर भी कठोर एवं धारदार हथियार से कटे हुए घाव और कठोर एवं कुंद वस्तु से खरोंचें आई थीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. उपरोक्त चर्चा से, हम पाते हैं कि लीलाराम (अ.सा. -1), गुरुदेव (अ.सा. -2), फुलतौरी (अ.सा. -3), सुनीता बनज (अ.सा. -5), चुनूराम बनज (अ.सा. -6) और तिहारिन बाई (अ.सा. -8) के साक्ष्य निश्चायक, विश्वसनीय और भरोसेमंद हैं तथा चिकित्सा साक्ष्य द्वारा विधिवत संपुष्ट हैं और इन्हें दोषसिद्धि का आधार बनाया जा सकता है।

15. अब, हम इस पर विचार करेंगे कि क्या अपीलार्थीगण का कोई समान आशय था और उसे अग्रसर करने में, उन्होंने मृतक की हत्या कारित की।

16. यह सर्वविदित है कि कई व्यक्तियों के समान आशय को स्थापित करने के लिए ताकि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के प्रावधान आकर्षित हों, निम्नलिखित दो मूलभूत तथ्यों को स्थापित किया जाना आवश्यक है: (i) अपराध करने का समान आशय और (ii) अपराध कारित करने में अभियुक्तों की भागीदारी। धारा 34 भा.दं.सं. को आकर्षित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक अभियुक्त व्यक्ति मृतक पर हमला करे। यह पर्याप्त है यदि यह दिखाया जाए कि उन्होंने अपराध करने के लिए समान आशय साझा किया और उसे अग्रसर करने में प्रत्येक ने अलग-अलग कृत्यों, समान या विविध, द्वारा अपनी सौंपी गई भूमिका निभाई। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 तब भी लागू होती है, भले ही संबंधित अभियुक्त द्वारा स्वयं कोई चोट कारित न की गई हो। धारा 34 भा.दं.सं. लागू करने के लिए, अभियुक्त की ओर से कोई प्रत्यक्ष कृत्य दिखाना आवश्यक नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. **रंगनाथ शर्मा बनाम सत्येंद्र शर्मा एवं अन्य, [(2008) 12 एससीसी 259**] के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अवलोकन किया:

"21. समान आशय के आरोप को सिद्ध करने के लिए, अभियोजन पक्ष को साक्ष्य द्वारा, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या परिस्थितिजन्य, यह स्थापित करना होता है कि अपराध करने के लिए सभी अभियुक्त व्यक्तियों के बीच कोई योजना या मस्तिष्क का मिलन था, जिसके लिए उन पर धारा 34 की सहायता से आरोप लगाया गया है, चाहे वह पूर्व-नियोजित हो या तत्काल स्फूर्त; लेकिन यह अनिवार्य रूप से अपराध कारित करने से पहले होना चाहिए। इस धारा की वास्तविक अवधारणा यह है कि यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति जानबूझकर संयुक्त रूप से

कोई कार्य करते हैं, तो कानून में स्थिति वही होती है मानो उनमें से प्रत्येक ने व्यक्तिगत रूप से स्वयं वह कार्य किया हो। अपराध में भाग लेने वालों के बीच समान आशय का अस्तित्व इस धारा को लागू करने के लिए आवश्यक तत्व है। यह आवश्यक नहीं है कि संयुक्त रूप से अपराध कारित करने के आरोपी कई व्यक्तियों के कृत्य समान या बिल्कुल एक जैसे हों। कृत्य चरित्र में भिन्न हो सकते हैं, लेकिन प्रावधान को आकर्षित करने के लिए वे सभी अभियुक्तों के बीच व्याप्त एक ही समान आशय से प्रेरित होने चाहिए। धारा 34 तब भी लागू होती है, भले ही विशिष्ट अभियुक्त द्वारा स्वयं कोई चोट कारित न की गई हो। धारा 34 लागू करने के लिए, अभियुक्त की ओर से किसी विशिष्ट प्रत्यक्ष कृत्य को दिखाना आवश्यक नहीं है, जब यह दिखाया गया हो कि वहाँ समान आशय और मस्तिष्क का मिलन था।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. राम टहल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, [(1972) 1 एससीसी 136] में, निम्नानुसार व्यवस्था दी गई है: (एससीसी पृष्ठ 140, कंडिका 5)

"5. ... इसमें कोई संदेह नहीं है कि समान आशय, अपराध कारित करने के समय से पूर्व का होना चाहिए जो एक पूर्व-नियोजित योजना और पूर्व सहमति को दर्शाता हो, और यद्यपि, अधिकांश मामलों में किसी व्यक्ति के आशय को साबित करना कठिन होता है, इसे मामले के कृत्य या आचरण या अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों से अनुमानित किया जाना चाहिए। यह अनुमान उस तरीके से लगाया जा सकता है जिस प्रकार अभियुक्त घटनास्थल पर पहुंचे और हमला किया, वह दृढ़ संकल्प और सामंजस्य जिसके साथ मारपीट की गई या चोटें पहुंचाई गईं, उनमें से एक या कुछ के द्वारा कारित चोटें, चोट पहुंचाने वालों की सहायता के लिए दूसरों द्वारा किए गए कृत्य, अपराध कारित करने के पश्चात का संयुक्त आचरण, उदाहरण के तौर पर कि वे सभी एक साथ घटनास्थल से चले गए थे और अन्य कृत्य जो सभी या कुछ ने किए हों, जो समान आशय के निर्धारण में सहायक हों। दूसरे शब्दों

में, इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए कि क्या अभियुक्तों का अपराध कारित करने का समान आशय था जिसके लिए उन्हें दोषी ठहराया जा सकता है, परिस्थितियों की समग्रता पर विचार किया जाना चाहिए। इस न्यायालय ने कृष्ण गोविंद पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर [1963 एससी 1413], जिसका पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, में यह अभिनिर्धारित किया था कि पूर्व-नियोजित योजना अपराध कारित करने के दौरान मौके पर ही विकसित हो सकती है, लेकिन महत्वपूर्ण परिस्थिति यह है कि उक्त योजना अपराध गठित करने वाले कृत्य से पहले की होनी चाहिए। यदि ऐसा है, तो इससे पहले कि कोई न्यायालय किसी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 या 304 के तहत दोषी ठहराए, उसे इस निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचना चाहिए कि उक्त व्यक्ति की अपराध कारित करने के लिए नामित या अनाम एक या अधिक व्यक्तियों के साथ पूर्व सहमति थी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. **गुरमेल सिंह बनाम पंजाब राज्य, 2012 क्रि.एल.जे. 665 (उच्चतम न्यायालय)** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अवलोकन किया:

"8. अब हम मामले के तथ्यों में समान आशय के प्रश्न पर विचार करते हैं। एक बार फिर इस बात पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है कि अभियुक्त सभी एक ही परिवार के थे और वे पीड़ित परिवार के सदस्यों से इस बात पर नाराज थे कि उन्होंने निंदो को परेशान किया था। वे एक ही मोहल्ले में एक- दूसरे के करीब रहते थे और हथियारबंद होकर आए थे तथा उन्होंने ललकार दिया था कि विपक्षी दल को खत्म कर दिया जाए और उसके पश्चात चोटें पहुंचाई गईं। यह भी स्पष्ट है कि राजविंदर सिंह (अ.सा.) को भी कई चोटें पहुंचाई गई थीं

और यह भी सिद्ध हुआ कि एक चोट बलजिंदर सिंह के लिए घातक साबित हुई। इस प्रकार, समान आशय का मामला स्पष्ट रूप से बनता है।"

19. वर्तमान मामले में, अपीलार्थीगण अपने-अपने हथियारों से लैस होकर मृतक के आंगन में आए और उन्होंने मृतक को यह संकेत देते हुए गाली दी कि मृतक 'टोनहा' था और उस हैसियत से उसने अपीलार्थी क्रमांक 2 दिलेश्वर की पुत्री चित्ररेखा को नुकसान पहुँचाया था। जब गुरुदेव (अ.सा.-2) ने अपीलार्थीगण को रोकने का प्रयास किया, तो वे गुरुदेव (अ.सा.-2) को कमरे से खींचकर आंगन में ले आए और उस पर हमला किया। जब मृतक ने गुरुदेव (अ.सा.-2) को बचाने का प्रयास किया, तो उन्होंने मृतक पर भी हमला किया, जिसमें मृतक के सिर पर विदीर्ण घाव और कई खरोंचें आईं। अपीलार्थीगण द्वारा निभाई गई भूमिका मृतक की हत्या करने के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने के दृष्टिगत थी। अपीलार्थी फिरात्रम और नरेंद्र ने कुल्हाड़ी से हमला किया, अपीलार्थी भेषकुमार ने लोहे की रॉड से हमला किया और अपीलार्थी दिलेश्वर प्रसाद उर्फ दिलाराम बनज ने मृतक पर लाठी से हमला किया और मृतक ने अपीलार्थीगण द्वारा कारित चोटों के कारण दम तोड़ दिया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

20. उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण ने मृतक की हत्या करने और गुरुदेव (अ.सा. -2) पर हमला करने के लिए समान आशय साझा किया था। अपीलार्थीगण को संदेह था कि मृतक एक ऐसा व्यक्ति था जो काले जादू, बुरी शक्ति या 'टोनहा' के रूप में जाने जाने वाले किसी अन्य माध्यम से किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुँचाता था या नुकसान पहुँचाने की शक्ति रखता था।

21. लीलाराम (अ.सा. -1), गुरुदेव (अ.सा. -2), फुलतौरी (अ.सा. -3), सुनीता बनज (अ.सा. -5), चुनूराम बनज (अ.सा. -6) और तिहारिन बाई (अ.सा. -8) के साक्ष्य निश्चायक, विश्वसनीय और भरोसेमंद हैं तथा चिकित्सा साक्ष्य द्वारा विधिवत संपुष्ट हैं। इन्हें दोषसिद्धि का आधार बनाया जा सकता है।

22. इसलिए, विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर पारित किया गया आक्षेपित दोषसिद्धि और दंडादेश का निर्णय इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की मांग नहीं करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. पूर्वगामी कारणों से, हमें इस अपील में कोई सार नज़र नहीं आता; यह खारिज किए जाने योग्य है और एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

सही/-
आर.एस. शर्मा
न्यायाधीश

अस्वीकरण:हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By: PURUSHOTTAM DWIVEDI